



ई-मेल/डाक

CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 338/पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 27.05.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को "निगम हित मे" स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित इकाई में आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम, पिता का नाम/ गृह जनपद/पदनाम/सैप आई.डी.	वर्तमान तैनाती इकाई/कार्यालय	नव आवंटित इकाई/कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री विनय कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल शर्मा/ गाजियाबाद/अवर अभियन्ता/11003534	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बागपत	प्रवर्तन दल, हापुड

उपरोक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नव तैनाती इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

कार्मिक को वर्तमान जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित होने की स्थिति में कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा।

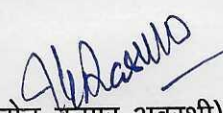
उक्त आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ईआरपी/सैप प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाये।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 338 (i)/पविविनिलि, तददिनांक : 27.05.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता, पविविनिलि, मेरठ क्षेत्र-द्वितीय/बुलन्दशहर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पविविनिलि, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत/हापुड।
5. अपर पुलिस अधीक्षक, प्रवर्तन, पविविनिलि, मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, पविविनिलि, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बागपत।
7. निरीक्षक प्रभारी, प्रवर्तन दल, हापुड।
8. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)